न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 47 / 2024(GCMS 2024/176)
(आरटीआई संख्या 212276229769031)

श्री रणजीत स्वामी पुत्र श्री नारायण दास निवासी 46 आरबी बी तहसील गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड कार्यालय पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>20.11.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रणजीत स्वामी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रणजीत स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. यह कि गांव 46 आरबी''बी'' तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 20 के किल्ला नं. 5 की वर्तमान स्थिति उक्त किल्ला नं., रकबा राज है या खातेदारी है। उसकी पूर्ण व विस्तृत सूचना दी जाये।
2. यह कि उक्त मु.नं. के किल्ला में डिग्गी हेतु किस अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कब दिनांक को मंजूरी दी गई। उसकी पूर्ण व विस्तृत सूचना दी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. यह कि उक्त मु.नं. 20 के किल्ला नं. 5 में डिग्गी निर्माण पर मिलने वाले कुल अनुदान राशि की कितनी राशि स्वीकृत की गई व किस अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनुदान पास किया गया व किस व्यक्ति/खातेदार/लाभार्थी को उक्त अनुदान राशि दी गई, उसकी पूर्ण व विस्तृत सूचना दी जाये।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/5114 दिनांक 10.10.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आवेदक रणजीत स्वामी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी, सूचना तहसीलदार, गजसिंहपुर क्षेत्र की होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन पत्र मूल ही तहसीलदार, राजस्व गजसिंहपुर को हस्तान्तरित (Transfer) कर दी गई थी। जिसकी सूचना तहसीलदार, राजस्व गजसिंहपुर द्वारा उपलब्ध करवायी थी, सूचना हेतु तहसीलदार, गजसिंहपुर को लिखते हुए प्रार्थी रणजीत स्वामी को सूचनार्थ प्रतिलिपि भिजवाई थी। जिसे प्रार्थी रणजीत स्वामी द्वारा लेने से इन्कार कर दिया, जिसकी प्रति संलग्न है।

श्रीमानजी से निवेदन है कि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई प्रत्येक सूचना इस कार्यालय द्वारा समयावधि में भिजवा दी जाती है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपील लोक सूचना अधिकार अधि. सं. 47/2024 रणजीत स्वामी बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को दाखिल दफ्तर करने की कृपा करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:33 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/4924 दिनांक 10.06.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार(राजस्व), गजसिंहपुर को हस्तान्तरित किया गया है और प्रार्थी रणजीत स्वामी को उक्त पत्र की तामील दिनांक 18.06.2024 को करवानी चाही तो प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया। तहसीलदार (भू.अ.), गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक भू.अ/564 दिनांक 14.06.2024 से रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को ही भिजवाई गई, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर/तहसीलदार, गजसिंहपुर द्वारा भी कोई सूचना अपीलार्थी रणजीत स्वामी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये हैः

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के **धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील रिमाण्ड** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे सूचना का अधिकार **नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:33 IST
Reason: SelfAttested